फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर ग्रामीण

स संख्या :- 104/2024

सुबराती खां बनाम गुलशन बेगम

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
08.04.2024	पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया है। प्रार्थी अधिवक्ता श्री जितेन्द्र कुमार गौतम हाजिर/प्रार्थी अधिवक्ता ने मामले की अर्जेन्ट प्रकृति बताते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगणों को आवेदन की सूचना दिए बिना तत्काल व्यादेश जारी किया जावें अन्यथा व्यादेश देने का उददेश्य विलम्ब द्वारा निष्फल हो जाएगा। प्रार्थी को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने पर हम पाते यह कि प्रार्थना पत्र, दावा बाबत् विभाजन के साथ पेश हुआ है। प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 2 में अंकित विवादित भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणों की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। अतः बिना गुणावगुण पर विचार किए प्रार्थना पत्र की विषयवस्तु को संरक्षित करने एवं वाद बहुलता को रोकन के लिए प्रार्थीगणों को सूचना दिए बिना प्रार्थना पत्र के चरण संख्या (2) में अंकित विवादित भूमि खाता संख्या 63 के खसरा नंबर 137/460, 138, 139, 140, 159, 179, 180, 186, 188, 189, 219, 221, 280, 281, 289, 290, 291, 378, 437, 438, 439 कुल किता 21 कुल रकबा 3.81 है0 वाके ग्राम सिंरूजा पटवार हल्का हुक्कण तहसील चाकसू जिला जयपुर पर **आगामी तारीख पेशी तक मौके की यथास्थिति बनाए रखें।** प्रार्थी अधिवक्ता को यह आदेशित किया जाता है कि इस व्यायदेश की प्रति के साथ प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र की प्रति आवेदन के साथ में फाइल किए गए शपथ पत्र की प्रति, उन दस्तावेजों की प्रतियॉ जिन पर आवेदन निर्भर करता है, जरिये रजि. डाक सम्मन के साथ अप्रार्थीगणों को आज ही भिजवायें। सम्मन जारी होकर प्रार्थी/प्रार्थी अधिववक्ता को दस्ती दिये जावें। प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता यह कथन करने वाला शपथ पत्र एक दिवस में प्रस्तुत करे कि उपर्युक्त प्रतियां इस प्रकार अप्रार्थीगणों को भेज दी गई है। उपर्युक्त शपथ पत्र पेश करने में विफल रहने पर यह व्यायादेश स्वतः निष्फल माना जावेगा। यह व्यायादेश अप्रार्थीगणों को कृषि उपयोग हेतु बैक ऋण, विद्युत कनेक्शन/पम्पसेट/सौलर पैनल आदि लगाने हेतु नहीं रोकेगा। वास्ते इन्ताजार तलवी एवं पेश होने शपथ पत्र दिनांक 24.04.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर) उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड चाकसू (जयपुर)	
24/4/24	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपo। अप्रार्थीगण की तलबी जरिए Reg. AD से जारी होकर पत्रावली दिनांक 30/4/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी ... चाकसू (जयपुर)	

30/5/24 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप० इन्तजार तामील पत्रावली दिनांक 27/6/24 को पेश हो।

उप... ...री
... (जयपुर)

1/6/24 | पत्रावली आज दावे की पत्रावली के साथ तलब की गई प्रार्थी स्वयं उप० वकील प्रार्थी व स्वयं प्रार्थी ने कहने एवं दावा विड्रो होने के कारण प्रा. पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विड्रो (खारिज) किया जाता है। प्रा. पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विड्रो होने से न्यायालय का पूर्व स्थगन आदेश दिनांक 8/5/24 का प्रभावहीन हो गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सुनवाई से रखे।

उप... ...री
उपखण्ड, ... (जयपुर)